

क्र.सं	पद का नाम	शैक्षिक अर्हता
1	स्टाफ नर्स (पुरुष) (चिकित्सा शिक्षा) एवं प्रशिक्षण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग)	1- स्टाफ नर्स (पुरुष) के पद पर सीधी नती के लिये अर्हता के पास- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाईस्कूल एवम् इम्पर्टीमेण्ट परीक्षा या सारकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है; (दो) संयुक्त पदों तथा धारी परिवर्धन में रजिस्ट्रीकरण योग्य सामान्य नर्सिंग और धारी कम में डिप्लोमा या नर्सिंग में विज्ञान स्नातक उपाधि या संयुक्त प्रान्त नर्स और धारी परिवर्धन में रजिस्ट्रीकरण योग्य सार्दिकीय नर्स में डिप्लोमा धारण करना आवश्यक है; (तीन) संयुक्त पदों तथा धारी परिवर्धन में नर्स तथा धारी परिवर्धन में नर्स सार्दिकीय नर्स के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारित करना या संयुक्त प्रान्त नर्स तथा धारी परिवर्धन में नर्स और धारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है।

क्र.सं	पद का नाम	शैक्षिक अर्हता
2	स्टाफ नर्स (महिला) (चिकित्सा शिक्षा) एवं प्रशिक्षण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग)	2- स्टाफ नर्स (महिला) के पद पर सीधी नती के लिये अर्हता के पास- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाईस्कूल परीक्षा एवम् इम्पर्टीमेण्ट परीक्षा या सारकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) उत्तर प्रदेश नर्स तथा धारी परिवर्धन में रजिस्ट्रीकरण योग्य सामान्य नर्सिंग प्रमाणिका एवं प्रवृत्ति प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा नर्सिंग में स्नातक (बी.एस्सी) उपाधि हो। (तीन) उत्तर प्रदेश नर्स तथा धारी परिवर्धन में नर्स और धारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र हो।

- पद की संज्ञा से नामावृत्तियों**
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियामकली, 1979
 - उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (वर्तुष संशोधन) नियामकली, 2016
 - उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (पंचम संशोधन) नियामकली, 2019

नोट- माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के पत्र सं- परिषद-9/743 दिनांक 25.10.2016 द्वारा निर्मांकित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष स्वीकार किया गया है। उक्त के अतिरिक्त किसी भी संस्था द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा-10) मान्य नहीं है:-

- 1- बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (अन्ध प्रदेश)।
- 2- बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (गुजरात), अमरा।
- 3- बिहार स्कूल एजामिनेशन बोर्ड, पटना।
- 4- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली।
- 5- छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रायपुर।
- 6- कर्नाटक प्राविण्य टि.एच.एन.ए. स्कूल सर्टीफिकेट एजामिनेशन, नई दिल्ली।
- 7- मेवाळ एजुकेशन इन्स्टीट्यूट (डीप्ट मुविबर्तरी) आगरा।
- 8- दोलाबाई बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सेकेंडरी) एवम् बॉर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजामिनेशन, तिलनामपुर।

- 9- गुजरात सेकेंडरी एण्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, गांधीनगर, गुजरात।
- 10- बॉर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी।
- 11- हिमाचल प्रदेश बॉर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धरमशाला, कांगडा।
- 12- एण्ड एण्ड को स्टेट बॉर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू।
- 13- आरवखण्ड एकेडमी काउन्सिल, रौरी।
- 14- कर्नाटक सेकेंडरी एजुकेशन एजामिनेशन बोर्ड, बंगलौर।
- 15- उत्तर प्रदेश बॉर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, रायपुर।
- 16- महाराष्ट्र स्टेट बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सेकेंडरी) एवम् बॉर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मद्रा प्रदेश, भोपाल।
- 17- बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मद्रा प्रदेश, मद्रा।
- 18- बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
- 19- मंगाला बॉर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेघालय।
- 20- मिजोरम बॉर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एजात।
- 21- नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।
- 22- बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उड़ीसा, कटक।
- 23- पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।
- 24- बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, अजमेर।
- 25- स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजामिनेशन, (सेकेंडरी) एण्ड बॉर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजामिनेशन, तिलनामपुर।
- 26- त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगरतला।

27- वेद बाला बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कोलकाता।

28- बॉर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।

29- उडुपी मदरसा शिक्षा परिषद, तलनकटा द्वारा संचालित माली परीक्षा, अरबी और मुसी परीक्षा फारसी।

30- माध्यमिक स्कूल शिक्षा परिषद, उडुपी द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतम परीक्षा।

31- राष्ट्रीय अधीन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेंडरी (माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छ. विषयों में उत्तीर्ण की गई हो।

32- भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हाईस्कूल (सर्टीफिकेट) अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षाओं जिन्हें समन्वय में मैट्रिक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का परामर्श होना गू.है. परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष माना होनी।

33- ऐसे छात्र/छात्रायां जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उर्थवीय या उररते अतिक अतिक का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड (एनओसीओटी) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसाय प्रमाण-पत्र (एनओसीओटी) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एनओसीओटी) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा-10) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षाओं के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा

(कक्षा-10) के समकक्ष माना जायेगा।

- 34- फुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विद्यार्थिकों परीक्षा।
- 35- महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा। प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों में, जिनमें माया के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हों, साहित्य उत्तरीणी की गई हो। वर्ष-1998 से प्रभावी माना जाय।
- उक्त के अतिरिक्त किसी भी परीक्षा संस्था द्वारा संचालित हाईस्कूल/इम्पर्टीमेण्ट परीक्षा (कक्षा-12) के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है:-
- 1- बॉर्ड ऑफ इम्पर्टीमेण्ट एजुकेशन (अन्ध प्रदेश)।
- 2- अरम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउन्सिल, गुवाहाटी।
- 3- गनैमठ एंड कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बंगलौर।
- 4- कानूनसिद्धि ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, उड़ीसा।
- 5- बॉर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।
- 6- गुजरात सेकेंडरी एण्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर।
- 7- केरला बोर्ड ऑफ पब्लिक एजामिनेशन, तिरुवनन्तपुरम।
- 8- महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एण्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, पुणे।
- 9- कानूनसिद्धि ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
- 10- वेद बाला काउन्सिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कोलकाता।
- 11- माध्यमिक स्कूल शिक्षा परिषद, उडुपी द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।
- 12- उत्तर प्रदेश मरकता शिक्षा परिषद, तलनकटा द्वारा संचालित आसिण परीक्षा।
- 13- बिहार स्कूल एजामिनेशन बोर्ड, पटना।
- 14- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली।
- 15- छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रायपुर।
- 16- कानूनसिद्धि फार् डी इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एजामिनेशन, नई दिल्ली।
- 17- मेवाळ एजुकेशन इन्स्टीट्यूट (डीप्ट मुविबर्तरी) दारावाण, अजमेर।
- 18- दोलाबाई बॉर्ड ऑफ सेकेंडरी एण्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, गोवा।
- 19- बॉर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी।
- 20- हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, कांगड़ा।
- 21- एण्ड एण्ड को स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू।
- 22- आरवखण्ड एकेडमी काउन्सिल, रौरी।
- 23- माध्यमिक शिक्षा मण्डल मद्रा प्रदेश, भोपाल।
- 24- मेवाळ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेघालय।
- 25- मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एजात।
- 26- नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।
- 27- पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।
- 28- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 29- स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजामिनेशन (सेकेंडरी) एवम् बॉर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजामिनेशन तिलनामपुर।
- 30- त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगरतला।
- 31- राष्ट्रीय अधीन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर सेकेंडरी (उच्च माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छ. विषयों में उत्तीर्ण की गई हो।
- 32- भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हाईस्कूल (सर्टीफिकेट) अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षाओं जिन्हें समन्वय में मैट्रिक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का परामर्श होना गू.है. परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य होनी।
- 33- डॉ. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वसि विश्वविद्यालय, तलनकटा द्वारा संचालित प्री-डिग्री सीनियर कक्षा उच्च स्तुट्टे-उच्च इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा पांच विषयों के साथ उत्तीर्ण की गयी हो।
- 34- ऐसे छात्र/छात्रायां जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उर्थवीय या उररते अतिक अतिक का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनओसीओटी) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसाय प्रमाण-पत्र (एनओसीओटी) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एनओसीओटी) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल/इम्पर्टीमेण्ट (कक्षा-12) की परीक्षा के हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षाओं के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की इम्पर्टीमेण्ट (कक्षा-12) के समकक्ष माना जायेगा।
- 35- प्राविण्य शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा।
- 36- महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा। प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों में, जिनमें माया के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हों, साहित्य उत्तरीणी की गई हो। वर्ष-1998 से प्रभावी माना जाय।
- उक्त के अतिरिक्त किसी भी परीक्षा संस्था द्वारा संचालित हाईस्कूल/इम्पर्टीमेण्ट परीक्षा (कक्षा-12) मान्य नहीं है।
10. सीधी नती की प्रक्रिया- स्टाफ नर्स (पुरुष/महिला) पर हेतु नही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (वर्तुष संशोधन) नियामकली, 2016 के नियम-15 (क) के प्राविण्यानुसार निम्नवत् होनी-
चयन एक से अधिक होना। अर्हताओं की योग्यता सूची निम्नलिखित श्रेणियों से तैयारी की जायेगी- (क) लिखित परीक्षा पच्चीसी अंको की होगी। (ख) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग उत्तर प्रदेश एवं चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उडुपी में सविदा के अन्तर्गत परीक्षाओं को अर्हताओं को अधिकतम पन्द्रह अंको के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणियों में अंक प्रदान किये जायेंगे। (एक) सविदा के अन्तर्गत पर सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के तिरे- -- -- तीन अंको। (दो) सविदा के अन्तर्गत पर सेवा के अगले एक वर्षके पूर्ण वर्ष के तिरे- -- -- तीन अंक प्रति वर्ष के लिए। (ग) खण्ड (क) के अन्तर्गत प्रथम अर्थक्य द्वारा प्राप्त अंको को, जहां लागू हो, खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रथम अंको के साथ जोड़ दिया जायेगा।

30. नोट- सविदा के अन्तर्गत पर स्टाफ नर्स के रूप में कार्य करने संबंधी सख्त प्राविकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा जिसका प्रारूप परिशिष्ट-5 में दिया गया है।

2. अरवेन Submit किये जाने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।

11. आर्य सीमा- (1) अर्हताओं को 01 जुलाई, 2023 को 21 वर्ष की आयु अथवा पूर्व करनी चाहिए और उररते 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उररका जन्म 01 जुलाई, 1983 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगता एवं अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अर्हताओं का जन्म 02 जुलाई, 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (2) अधिकतम आयु सीमा में छूट- (क) उडुपी के अनुभूतिक जाति, उडुपी के अनुभूतिक जन्मजाति, उडुपी के अन्य पिछड़े वर्ग के अर्हताओं, उडुपी के वर्गीकृत खेतों के कृषक खिलाड़ियों तथा उडुपी राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उडुपी के शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षालय प्रबन्धकों के साथ उडुपी के अनुभूतिक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्षों के छूट अनुभूतिक होनी अर्थात् उररका जन्म 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (3) उडुपी के समाज के दिव्यांग अर्हताओं के लिये अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उडुपी के आयात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अत्यकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/03 वर्षों के बनावट के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अर्थात् +00 वर्षों सेना के लिये अनुभव योग्य होगी।

परन्तु यह और कि उररते अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (वर्तुष संशोधन) नियामकली, 2016 के लागू होने के पर्यन्त कि परीक्षा किये जाने वाले अंकों पहले वषयों के लिए एवं अर्हताओं के लिये जो नियम-10 में विहित हए अर्हता पहले ही जांच कि हेतु वरत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियामकली-1999 के लागू होने के पूर्व विद्यमान थी और जो पॉस्टेड और प्रशिक्षित हैं, अधिकतम आयु सीमा उररते वर्ष अधिक होगी, बिनाही सीधी नती के लिये विचार किये जाने हेतु उररते अर्ह बनाने के लिये आवश्यक समझी जाये।

परन्तु यह भी कि ऐसे अर्हताओं के लिये जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग, उत्तर प्रदेश या चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उडुपी में सविदा के अन्तर्गत पर स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत हैं और जो इस नियामकली के नियम-10 में विहित अर्हताएं धारित करते हैं, अधिकतम आयु सीमा उररते वर्ष अधिक होगी, जिनमें वर्ग से सविदा के अन्तर्गत पर सेना में पूर्ण कर चुके हैं, जो कि अधिकतम उम्र पांच वर्षों के अन्तर्गत होगी जो सीधी नती के विचारार्थ उररते अर्ह बनाने के लिये आवश्यक समझी जाये।

22. स्टाफ नर्स (पुरुष/महिला) परीक्षा 2023 मुख्य (लिखित) परीक्षा के संघ में कतिपय सूचनायें- (1) प्राविण्य परीक्षा में सफल होने वाले अर्हताओं की मुख्य (लिखित परीक्षा) में निर्मांकित किये जायेंगे जिन्हें उररते आयोग के निर्देशानुसार सफल अर्हताओं को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनास्थित (उपस्थित) अर्हताओं, उडुपी के अधिक रूप से कमाजोर वर्ग के अर्हताओं, उडुपी के अन्य पिछड़े वर्ग के अर्हताओं तथा उडुपी के बाहर के अर्हताओं के लिये परीक्षा शुल्क रु 200/- एवं आर-लाईन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- उरर रु 2025/- तथा उडुपी के अनुभूतिक जाति/ उडुपी के अनुभूतिक जन्मजाति के अर्हताओं हेतु परीक्षा शुल्क रु 80/- एवं आर-लाईन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- उरर रु 200 रु 105/- निरतिरि है। उडुपी के दिव्यांग अर्हताओं को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उरर आर-लाईन प्रक्रिया शुल्क रु 20/- मात्र देना होगा। उडुपी के सेना के भूतपूर्व सैनिकों को हेतु परीक्षा शुल्क रु 80/- एवं आर-लाईन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- उरर रु 105/- निरतिरि है। उडुपी के स्वंतरा सेना सेवानिवृत्त अंको के अतिरिक्त एवं मित्रा/कुशल खिलाड़ी अर्हताओं जिनका श्रेणी से संबंधित होना उररते उरर व/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। (2) अर्हताओं सावकानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उररी अनुक्रमणिक पर बैठेंगे जो उररें प्राविण्य परीक्षा के लिये अतिरिक्त किया गया है। (3) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियां तथा परीक्षा केंद्र वार में आयोग द्वारा निरतिरि किये जायेंगे, जिनकी सूचना ई-प्रदेश पर के माध्यम से दी जायेगी। (4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अर्हता कार्यरत अर्हताओं को अपने सेवायोजक का समन प्राविण्यी द्वारा निर्गत अनामत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। (5) विभागावार पद के लिए अतिरिक्त अर्हताओं से थमा समन जारी जायेगी जो अंतिम होगी और तत्परवत् उररत कर्तव्य परित्यक्त अनुभव नहीं होगा।

नोट- स्टाफ नर्स (पुरुष/महिला) परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दार्जी की पुष्टि में स्वयमार्गित अंको पत्र/प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दार्जी की पुष्टि में स्वयमार्गित अंको पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उररका अर्हता निरस्त कर दिया जायेगा।

13. अर्हताओं के लिए महत्त्वपूर्ण अनुदेश- (1) उडुपी लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार दार्जी की अर्हताओं को अपने आवेदन पत्रों में गलत तथ्यों को, जिनकी गणना पत्र के अन्तर्गत पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अर्हता अथवा किसी कदाचार पर आयोग की प्रवनायकरी तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवर्तिता किया जा सकता है। (2) यदि O.T.R. में उल्लिखित तथ्यों पर सविदा के अर्हताओं के परित्यक्त किया जाना है तो उरर परिपत्रों के पश्चात Dashboard पर Sync करना अनिवार्य होगा, अर्थात् परित्यक्त अनुभव नहीं होगा। इस संबंध में नूटि सुचना/संशोधन पत्र के लिए अतिरिक्त अर्हताओं से थमा समन जारी जायेगा। परराशरी तंत्र पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी कदाचार स्वीकार नहीं किया जायेगा। नरत/आमक सूचना प्रवृत्तियों परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अर्हताओं को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उररत प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अपने आवेदन पत्र अतिरिक्त जमा नहीं होगा तथा उररत प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर अर्हता उरर निरस्त कर दिया जायेगा। (3) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में सखा अर्हताओं को उररके योग्यताओं के समन्वय में किये पये दार्जी की पुष्टि में अर्हता, प्रमाण पत्र एवं सही की स्वर. प्रमाणित प्रती संलग्न करना होगा। दार्जी की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अतिरिक्त संलग्न न करने पर अर्हता प्रमाण पत्र/अंको पत्र संलग्न प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (5) समाज के दिव्यांग अर्हताओं को उडुपी लोक सेवा (सार्विक) से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आरत और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरकष (संशोधन) अनिवार्य, 2021 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रावण पत्र जो चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रो

हस्ताक्षरों को, प्रस्तुत करने पर साक्षात् द्वाारा विहित किए गए पदों पर दिखाना की उप श्रेणी के अंतर्गत ही आसानी का लाभ अनुभवा होगा। (6) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक मूलपूर्व सैनिकों को सेवा सेवा से अनुप्राप्त होना आवश्यक है। (7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केंद्रों आदि के सम्बन्ध में आयोग का संचित है—प्रेषण करने में मध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवेदित केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र पर्यटन अनुभवा नहीं होना तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रश्नमात्र पर स्वीकार नहीं होगी। (8) जो अभ्यर्थी कालांतर में विद्यमान की शर्तों के अनुसार आई नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और मूल्य प्रेषण में प्रवेश हुए उका कोई रकम वापस नहीं करेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (9) आवेदन पत्र निश्चित प्राप्ति पर न होने पर, आवेदन पत्र में जमाकियता का उल्लेख न करने पर, बुद्धिपूर्व जमाकियता अंकित करने पर, अधिकारक या अत्यन्तकर करने पर, न्यूनतम शैक्षिक अंदाज बाँटित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्ति जाने के पश्चात् निश्चित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा अभ्यर्थी को घेषण पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (10) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरकारी जांच पर अधिकारक प्रवेश दे सक्ते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जायें पर कि अभ्यर्थी आई नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्राथमिकता के बिना ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपानुसार सल्लुत भी कर दिया गया हो तो आयोग को संशुद्धि वापस ले ले जायेगी। (11) कदाचन अपेक्षित परीक्षा में नकल करने, अनुशासनविहीनता, दुर्व्यवहार अथवा आचरणहीनता करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन उद्देश्यों की अहंरचना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा अभ्यर्थन में होने वाला अन्य सम्पत्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिबाधित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (12) आयोग से सही पत्राचार में परीक्षा का नाम, विद्यमान संख्या, O.T.R./Application ID Number, जमाकियति, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अथवा होना चाहिए। (13) निम्नलिखित रूप से चयनित अभ्यर्थियों को निगमों में अपेक्षित स्तराधिकार प्रदान करना होगा। (14) प्राथमिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हुए विद्यार्थियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे। (15) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निश्चित अहंरचना परीक्षा (पर की अनिवार्य अहंरचना) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में ही आवेदन न करें, क्योंकि वे अहंरचना में। (16) अभ्यर्थी ओएसआर उत्तर पत्र को भरने में केंद्रक कोसले बाद चयन पत्र का प्रयोग करें। चयनित या किसी अन्य पैन का प्रयोग कदापि न करें। (17) अभ्यर्थी उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मर्यादित गणित सूचना संबंधित गोलों को काला कलम सही-सही भर कर किये अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर गोलों में मरी गई सूचनाएँ, जो स्कैनर मशीन द्वारा मरी जायेंगी, ही आयोग द्वारा स्वीकार की जाएगी। इनके रिक्त छोड़ना अथवा बुद्धिपूर्व भरने की विधि में OMR Answer Sheet का न्यूनतम आयोग द्वारा मरी की किये जायेगा जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरपत्रिका हो। ओएसआर उत्तर पत्रक में मरी गई सूचना को स्वाइटरन, ब्लेड अथवा रबर आदि से हटाया नहीं जाये। (18) OMR Answer Sheets दो प्रतियों में एक मुद्रित प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्त के पश्चात् अभ्यर्थी OMR Answer Sheets को मूल प्रति (Original Copy) अनुरोधक को सौंप देना तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे। (19) प्राथमिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी। 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये षट् केवलिक उत्तर है। उन्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु निम्ना दिये गये अंको का $1/3$ (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उन्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रकार के लिये उपयुक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जायेगा। 3. यदि उन्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अथवा उन्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। (20) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दस्ता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निश्चित है अर्थात् अलग श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्राथमिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेयदा/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। (21) उत्तर प्रश्न, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दस्ता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निश्चित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्राथमिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेयदा/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। (22) ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दस्ता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अहंर माने जायेंगे। (23) अरक्षित श्रेणियों के उन्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनुसूचित श्रेणी के पदों पर तभी सामर्थ्याजित किया जायेगा जिनमें दस उनके द्वारा प्राथमिक/मुख्य परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई त्रुटि/विषयगत न किया गया हो। (24) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र कमी अथवा कृत्रिमिष्ट Submit किया गया या तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से वन्दित के लिये प्रतिबाधित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की संहिता धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। (25) इन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थन नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्रत्यांक नहीं दिये जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

- 1- अंतिम निश्चित तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरकारी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
- 2- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निश्चित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करने अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा मरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें। किसी विज्ञापित की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 3- आरक्षण/आयु सीमा में घूट का लाभ धारणे वाले अभ्यर्थी सम्मिलित अरक्षित श्रेणी के सम्बन्ध में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निश्चित प्राप्ति पर

(परिशिष्ट-2) सक्षम प्राथिकता द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उत्तरों अथवा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक अरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में घूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक घूट, जो अधिक लाभकारी होगी, ही जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम श्रेणी के आरक्षित दिव्यांगों से वरत, मूलपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/संग्राम शिलायुद्धों की जो उभयो राक्ष के मूल निवासी नहीं है, उसे आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुभवा नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता स्व से निरत जित प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

4- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पसन्दा के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं इसलिए उन्हें विज्ञापन का सार्वभौमिकीक अद्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन पत्र सङ्गठन हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आई हैं। अभ्यर्थियों को पर के लिये बाँटित सभी अहंरकार आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आरक्षित की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पुत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रिया (पुत्री की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही मान्य है। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनद्वारा संख्या- 453/79-बी-1-15-(10)-14/2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निश्चित प्राप्ति पर शिलायुद्धों से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6- किसी कदावार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अपेक्षायुक्त/अपराधिकवाद लाई होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जोडित पाते या पनी को होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने अथवा कृत्रिम में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रस्तावित परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिबाधित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7- अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के वेब पन्ना से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8- प्राथमिक परीक्षा में गोलों की सूची परिशिष्ट-1 पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्राप्ति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्राथमिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:
At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details
This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/department name and post name.

Personal Details from OTR
This section shows information about candidate personal details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Family, Outstanding Duration of U.P. Debarred candidate.

Education & Experience Details
It shows your educational and experience details Declaration segment
At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.
After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.
Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. If you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website
<https://apps-up.nic.in>

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

- NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS
- All Notification/Advertisements
- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION
- Candidate Registration
- Fee Deposition/Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)
- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION
- Double Verification mode
- View Application Status
- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having ANY Objections
- View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट-1
जिन नगरो में प्राथमिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं—
(1) प्रयागराज, (2) लखनऊ, (3) गजियाबाद, (4) मेरठ एवं (5) मोरखपुर.

परिशिष्ट-2
उभयो की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री श्री _____ ग्राम _____ तहसील _____ नगर _____ जिला _____ उत्तर प्रदेश राज्य की _____ जाति के व्यक्ति है जिसे साक्षिजन (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/साक्षिजन (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता है।

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम _____ तहसील _____ नगर _____ जिला _____ में सामान्यतया रहता है।

स्थान _____ हस्ताक्षर _____ दिनांक _____ पूरा नाम _____ मुहर _____ पर नाम _____

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परमना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अथवा वेतन गोली मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री श्री _____ नगर _____ तहसील _____ जिला _____ उत्तर प्रदेश राज्य की _____ पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उभयो लोक सेवा (अनुसूचित जातियों), अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अंतिमयन, 1994 (स्थासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उभयो संशोधित किया गया है, से आरक्षण प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पूर्वक सम्पत्ति, 1994 (स्थासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उभयो लोक सेवा (अनुसूचित जातियों), अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उभयो लोक सेवा (अनुसूचित जातियों), अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आरक्षण प्राप्त है। इनके अलावा-अतिमा की निरस्त लोक वर्ग की अग्रिम के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अंतिमयन, 1957 में क्या विहित दण्ड सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम _____ तहसील _____ नगर _____ जिला _____ में सामान्यतया रहता है।

स्थान _____ हस्ताक्षर _____ दिनांक _____ पूरा नाम _____ मुहर _____ पर नाम _____

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परमना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रश्न-1)
उत्तर प्रदेश सरकार
कार्यालय का नाम
वार्षिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिवारगत प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ ग्राम/कस्बा _____ तहसील _____ जिला _____ राज्य _____ पिन कोड _____ के निवासी निवासी हैं, जिनका कोटोग्राफ नीचे अधिमण्डित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय रूप से वे अपने परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित पदों में कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है—

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अधीन कर प्राप्त।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
III. अधिवृत्त नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग नग्न अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिवृत्त नगरपालिका से दूर 200 वर्ग नग्न अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ जाति _____ के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिवृत्त नहीं हैं।

हस्ताक्षर _____ (कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम _____ परमना _____ जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परमना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रश्न-11)
वार्षिक रूप से कमजोर वर्ग के तालाई स्वयं घोषणा पत्र

_____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ ग्राम/कस्बा _____

पोस्ट ऑफिस _____ थाना _____ ब्लाक _____
 तहसील _____ जिला _____ राज्य _____
 ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है,
 पत्रद्वारा घोषणा करता/करती हूँ-
 1. मैं _____ जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिवृत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
 2. मेरे परिवार को कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु _____ (शब्दों में) है।
 3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के तिमाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्य कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् भी मैं (नाम) _____ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।
 4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-
 I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
 II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
 III. अधिवृत्त नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 IV. अधिवृत्त नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पत्रांतर धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाना प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
स्थान :- आवेदन/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पुरा नाम।
दिनांक-
 उषरा के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण-पत्र (दिव्यांगजन प्रारूप)
Form-II
Certificate of Disability
 (In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)
 (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. _____ **Date:** _____
 This is to certify that I have carefully examined
 Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____
 _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____
 _____ years, male/female _____ registration No. _____
 _____ permanent resident of House No. _____
 Ward/Village/Street _____ Post office _____
 District _____ State _____
 whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
 (A) he/she is a case of:
 ● locomotor disability
 ● dwarfism
 ● blindness
 (Please tick as applicable)
 (B) The diagnosis in his/her case is _____
 (C) he/she has _____ % (in figure) _____ percent
 (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her _____
 (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/ blindness in relation to his/her _____ (part of body)
 as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).
 2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.
 (Dr.....) (Dr.....) (Dr.....)
 Member Member Chairperson
 Medical Board Medical Board Medical Board
 with seal with seal with seal

Counter signed by the person in whose favour certificate of disability is issued

 Chief Medical Officer (with seal)

Form-III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
 (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. _____ **Date:** _____
 This is to certify that we have carefully examined
 Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____
 _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____
 _____ years, male/ female _____ Registration No. _____
 _____ permanent resident of House No. _____
 Ward/Village/ Street _____ Post Office _____
 District _____ State _____ whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
 (A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-
 In figures.....percent.
 In words.....percent
 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is:-
 (i) not necessary,
 or
 (ii) is recommended/after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till _____ (DD) (MM) (YY)
 @ - e.g. Left/right/both arms/legs
 # - e.g. Single eye
 £ - e.g. Left/Right/both ears
 4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

 Name and Seal of Member Name and Seal of Member Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

 Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV
Certificate of Disability
(In cases of other than those mentioned in Forms I and II)
 (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. _____ **Date:** _____
 This is to certify that I have carefully examined
 Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____
 _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____
 _____ years, male/ female _____ Registration No. _____
 _____ permanent resident of House No. _____
 Ward/Village/ Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above and satisfied that he/she is a case of disability.
 His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)
 2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is:-
 (i) not necessary, or
 (ii) is recommended/after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY).....
 @ - e.g. Left/right/both arms/legs
 # - e.g. Single eye/both eyes
 £ - e.g. Left/Right/both ears
 4. Signature and Seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

 Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (हाथरिक्त) रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और मरुपूरव सैनिकों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1993 (व्यवसायोपेत) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिये प्रमाण-पत्र
 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ नगर _____ जिला _____ तहसील _____
 उत्तर प्रदेश लोक सेवा (हाथरिक्त) रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और मरुपूरव सैनिकों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) _____ पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्रिका/पुत्री का पुत्र/पुत्री का पुत्र/पुत्री का पुत्र/पुत्री का पुत्र/पुत्री का पुत्र/पुत्री का पुत्र (विविहित अथवा अधिवारित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (व्यवसायोपेत) के प्रावधानों के अनुसार उत्तर उत्तरी/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।
 स्थान: हस्ताक्षर _____
 दिनांक: पुरा नाम _____

